

प्रबल,

प्रम. नारायण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

512 (12)/26-2-20/04
(24)/2004 T.C.

समाज कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2010

विषय:- समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में सेवा काल में शिक्षकों का निधन हो जाने पर आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 लागू नहीं है क्योंकि यह पद सरकारी नहीं है और इसमें नियुक्ति विद्यालय के प्रबन्ध समिति द्वारा की जाती है।

2- अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निजी प्रबन्धाधिकरण के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग से आवर्तक अनुदान पर संचालित अनुसूचित प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

भवदीय,


(प्रम. नारायण)
प्रमुख सचिव।

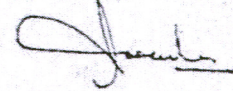
निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक C-1390 /स0क0/शिक्षा/प्र 70/2010-11

लखनऊ: दिनांक: जुलाई 08, 2010

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 2:- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।



(राम बहादुर)
निदेशक